न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला शाहपुरा (राज.)

प्रकरण सख्या – 01/2024 पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1 अनवर पिता रमजू मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
2 गोपाल पिता बन्ना धोबी उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
3 धापू पत्नि स्व महराव मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
4 नसीम पुत्री रमजू पत्नि जीवरान मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला हाल मुभासू जिला टोंक
5 वशीरन पुत्री महराव मुसलमान पत्नि स्व स्व रमजू मो उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
6 मदीना पत्नि स्व रमजू मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
7 मुस्कान पुत्री रमजू मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
8 मेहरून पुत्री महराव मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
9 लाली पुत्री महराव मुसलमान पत्नि पीरू मो उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
10 शरीफ पिता रमजू मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
11 शावुदीन पिता महराव मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
12 हुसनी पुत्री रमजू मुसलमान पत्नि जब्बार मो मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
13 जवीदा पत्नि अमीरदीन मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
14 सद्दाम पिता अमीरदीन मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
15 रफीक पिता अमीरदीन मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
16 चान्द मो. पिता अमीरदीन मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
17 मदीना पिता अमीरदीन मुसलमान पत्नि सद्दाम मोह उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला हाल निवासी सरदारनगर तहसील माण्डल जिला, भीलवाडा
18 जवीदा पत्नि समसुदीन मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
19 ईदु पिता समसुदीन मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
20 सलमा पुत्री समसुदीन मुसलमान पत्नि अब्दुल सत्तार उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला हाल मु साला जिला केकडी
21 रईसा पुत्री हुसना मुसलमान पत्नि सत्तार मोह मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला हाल कनेछनकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा

—————(प्रार्थीगण)

बनाम

1 शावुदीन पिता ईदू पिनारा मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, शाहपुरा
2 रतनी पत्नि मूला जाट उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
3 रमजू पिता सुलेमान मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
4 निर्मला देवी पत्नि छोटूलाल माली उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
5 लाली देवी पत्नि प्रहलाद माली उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
6 शिवमाली समाज युवा सेवा संस्थान जरिये सचिव प्रहलाद पिता देवकरण माली उम्र वयस्क निवासी फूलियाकला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
7 सरपच/सचिव ग्राम पचायत फूलियाकलां तहसील फूलियाकला जिला शाहपुरा
8 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकला जिला शाहपुरा

—————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता——— श्री विजय पाराशर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय दिनांक – 13.03.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनाक 01.01.2024 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम फूलियाकलां पटवार मण्डल फूलियाकलां भू.अ.नि. फूलियाकलां तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 1333 के आ.न. 2957 रकबा 0.01 हैक्टयर, खतौनी संख्या 21 के आ.न. 2958, 2959 किता 2 रकबा 0.15 हैक्टयर, भूमि स्थित हैं।** उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसीगण/सहखातेदारान है। प्रार्थी एव विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनाक 02.01.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणो को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। ———

शाहपुरा

(2)

---प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित मे स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम फूलियाकलां पटवार मण्डल फूलियाकलां भू.अनि. **फूलियाकलां तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 1333 के आ.न. 2957 रकबा 0.01 हैक्टयर, खतौनी संख्या 21 के आ.न. 2958, 2959 किता 2 रकबा 0.15 हैक्टयर,** भूमि की पत्थरगढी बशामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक फूलियाकला का नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पक्षकारान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय मे आराजीयात पर स्थगन होने की दशा मे तथा मौके पर खडी फसल होने की स्थिति मे पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी मे ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां, जिला शाहपुरा
फूलियाकलां, जिला शाहपुरा